

अभिभावकों के लिए सामान्य निर्देशिका

धन्यवाद के संग पोल स्टार आपका हार्दिक अभिनन्दन करती है कि अपने अनमोल धरोहर की जिम्मेदारी हमें सौंपकर हमें आभारी बनाया/ हम इस जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छी तरह कर सकें इसके लिए हमें आपका सहयोग हर कदम पर अपेक्षित है।

सामान्य निर्देश छात्रों के अभिभावक हेतु : –

1) नामांकन के समय :-

- पुस्तकें कवर लगाकर सुरक्षित करें।
- अभिभावकों के द्वारा प्रतिदिन स्कूल डायरी देखकर हस्ताक्षर करना चाहिए। व्यक्तिगत जानकारी प्रथम दो पृष्ठ पर हस्ताक्षर के साथ भेजना अनिवार्य है।

2) पोशाक:-

- कृपया विद्यालय द्वारा निर्धारित पोशाक को ही निर्देशानुसार पहने। (लो वेस्ट अथवा डिजाइनर प्रतिबंधित है)

3) परिवहन व्यवस्था :-

- अपने बच्चों को निश्चित समय से 10 मिनट पहले निर्धारित स्थान पर भेजें।
- स्कूल से घर वापस आने के समय में 5 से 10 मिनट का अन्तर हो सकता है।
- पता बदलने की स्थिति में विद्यालय प्रशासन को लिखित जानकारी दें, न कि चालक और अन्य व्यक्ति को सूचित करें।
- परिवहन सुविधा नामांकन के समय में बहाल होने पर सत्र के बीच में वापस नहीं लिया जाएगा।

(4) शुल्क :-

- विद्यालय शुल्क प्रत्येक महीने के 10 तारीख तक या उससे पहले जमा करना अनिवार्य है। 10 तारीख के बाद 200 रु विलम्ब शुल्क देय होगी। साल में दो बार, दो महीने का विद्यालय शुल्क एक साथ लिया जाएगा।
- वार्षिक शुल्क जमा करने पर एक महीने का शुल्क माफ किया जाता है।

(5) सामान्य निर्देश :-

- बच्चों को प्रोत्साहित करें कि अलग अलग कॉपी ही क्लास वर्क एवं होम वर्क के लिए प्रयोग में लाएँ। इससे समानता रहती है। (रफ कॉपी का प्रयोग वर्जित है।) हर विषय का दो कॉपी अनिवार्य है तथा एक कॉपी (प्रत्येक विषय के लिए) क्लास टेस्ट के लिए अलग से प्रयोग किया जायेगा जो वर्ष भर क्लास टेस्ट एवं (होलीडे वर्क) के लिए होगा। स्कूल कॉपी अनिवार्य है।
- कृपया पानी का बोतल नाश्ता एवं रुमाल के साथ छात्रों को स्कूल भेजें।
- आकर्षक एवं कीमती आभूषण, घड़ी आदि पहन कर विद्यालय आना मना है।
- कृपया अपने बच्चों का नाखून एवं बाल एक निश्चित समय अन्तराल पर कटवाकर भेजें। लड़कियाँ उजला फीता का ही उपयोग कर सकती है, अगर उनके बाल लंबे हैं।
- कृपया अपने बच्चों को साफ-सुथरा विद्यालय पोशाक में एवं विद्यालय समय सारणी के अनुसार किताब और कॉपी के साथ विद्यालय भेजें।

- (f) अपने बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने के लिए प्रोत्साहित करें।
- (g) आकस्मिक अवकाश लिखित आवेदन जो अभिभावक के द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षर किया गया ही स्वीकार किया जाएगा
- (h) अनुपस्थित होने की स्थिति में प्रति दिन के हिसाब से विद्यालय प्रशासन जुर्माना वसूल करेगी ताकि बच्चे विद्यालय से अनुपस्थित न रह सकें।
- (i) U.T. एवं टर्मिनल परीक्षा के समय किसी प्रकार का अवकाश विद्यालय प्रशासन नहीं देगा।
- (j) अगर विद्यार्थी परीक्षा (U.T./ T.E) में अनुपस्थित होता है तो दुबारा परीक्षा नहीं लिया जाएगा।
- (k) कक्षा संचालन के समय अभिभावक अपने बच्चों से नहीं मिल सकते हैं। (विशेष परिस्थिति में पूर्व लिखित सूचना देकर ऐसा किया जा सकता है)

(6) सम्मेलन :- प्रत्येक टर्मिनल परीक्षा के बाद छात्र-अभिभावक सम्मेलन का आयोजन विद्यालय प्रांगण में किया जाएगा इस सम्मेलन में प्रत्येक अभिभावक (माता/पिता) की उपस्थिति अनिवार्य होगी (10:00am to 12:00pm)

नोट :- इसके अलावा महीने के प्रत्येक दूसरे शनिवार को PTM होगी।

प्राचार्य से 02:30pm से 03:00pm मिल सकते हैं।

निदेशक के साथ बैठक सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे के बीच (नियुक्ति के साथ)

नोट :- किसी आपातकालीन समस्या का समाधान आप दूरभाष पर समन्वयक से 10: 00 am से 8:00 pm के बीच कर सकते हैं। मो० – 9204789880

विशेष जानकारी :-

- 1) Account/Reception/Enquire:- 7541810409
- 2) कार्यालय / स्टोर :- 7541810410
- 3) ट्रांसपोर्ट :- 7541810401.
- 4) परीक्षा विभाग :- 7541810417.
- 5) अकादमी :-7541810416.
- 6) होस्टल :- 7541810418.
- 7) आपातकालीन स्थिति में निम्न दूरभाष पर सूचित करना अनिवार्य है । :- 7541810416, 7541810417.

शत-प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है पूर्व लिखित आवेदन पर ही अवकाश प्रदान किया जाता है। आवेदन के बिना छुट्टी को अनुपस्थित माना जाता है

धन्यवाद!

घोषणा

मैं माता/पिता (बच्चे का नाम)..... उपर्युक्त बातों को ध्यान से पढ़ने के बाद अपनी सहमति प्रदान करता हूँ।

हस्ताक्षर